

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर


--: आदेश :-

क. / वयु. / सी.जे.एम. / 2022

जबलपुर, दिनांक-28.01.2022


माह फरवरी 2022 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य **10.30 बजे से 11.00** के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करें।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती गजल पाहवा	01.02.22	13	श्री आशुतोष अग्निहोत्री	15.02.22
2	श्री सौरभ गोस्वामी	02.02.22	14	सुश्री अंजली शाह	16.02.22
3	सुश्री किरण मलिक	03.02.22	15	श्रीमती साहंगी दुग्गल	17.02.22
4	श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर	04.02.22	16	सुश्री निधि जैन	18.02.22
5	श्री तन्मय सिंह	05.02.22	17	सुश्री अकिता गुप्ता	21.02.22
6	सुश्री श्रद्धा पांडेय	07.02.22	18	श्रीमती दीक्षा तनेजा	22.02.22
7	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	08.02.22	19	श्री कुंवर युवराज सिंह	23.02.22
8	श्रीमती नूतन रावते	09.02.22	20	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	24.02.22
9	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	10.02.22	21	सुश्री सपना कनौडिया	25.02.22
10	सुश्री अदिति शुक्ला	11.02.22	22	सुश्री संजना मालवीय	26.02.22
11	श्री अंकुर तिवारी	12.02.22	23	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	28.02.22
12	श्री अर्जित दुबे	14.02.22			


 (यशवंत मालवीय)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते हैं तो उक्त दिनांक को **सुश्री अदिति शुक्ला जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश सुश्री अदिति शुक्ला जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **श्री अंकुर तिवारी जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेगे।
- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- कम्प्यूटर कक्ष की ओर सूचनार्थ ।


 (यशवंत मालवीय)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जबलपुर
 (यशवंत मालवीय)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जबलपुर (अ.प्र.)